

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2020/00426


न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी  
जिला जोधपुर

राजस्व विधि प्रार्थना पत्र संख्या : 109/2020

प्राथी

अप्राथी

सरकार जॉर्जे लहसोलदा हनी बनाम नैनी कौर  
किस्म मुकदमा- अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर एक्ट 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इत हुक्म की तामील में जारी हुए
21/11/20	<p>तहसीलदार लूणी के द्वारा प्राप्त भूअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत जमाबन्दी में मौजूदा खसरो का राजस्व नक्शों में दर्ज खसरो से वन-दू-वन मिलान के मध्यमजर जिन खसरो में रिकॉर्ड, मौका व नक्शों में भिन्नता आ रही है यथा किसी सरकारी खसरे में से कई खातेदारों को पूर्व में गे.मु.बाडा एवं अन्य किस्म के छोटे-छोटे रकबे व खसरे आवंटित किये गये जिनका नामान्तरण पूरा कर नजरी नक्शा आवंटन व आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं है जिनकी दिशा व स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। अतः ऐसे खसरे को मूल खसरे में एकीकरण के प्रस्ताव हल्का पटवारी <del>कृतप्रदा</del> शाह <del>बनोपदी</del> हनी अनुशया भूअनिरीक्षक एवं तहसीलदार लूणी से प्राप्त हुये, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मूल प्रस्ताव अनुसार (DILRMP) के तहत रिकॉर्ड में एकीकरण कर रिकॉर्ड दुस्तुती करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हों।</p> <p style="text-align: center;">   <b>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर)</b> </p>	